न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित चेतन देवड़ा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **01/2020** अपील (राजस्व)

1. मु. गीताबाई बैवा स्व. बंशीलाल जी मेनारिया(ब्राहम्ण) निवासी– पानेरियों की मादडी, तहसील–गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री हितेष मेनारिया पिता स्व. बंशीलाल जी मेनारिया(ब्राहम्ण) निवासी– पानेरियों की मादडी, तहसील–गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. अनिता मेनारिया पिता स्व. बंशीलाल जी मेनारिया(ब्राहम्ण) निवासी– पानेरियों की मादडी, तहसील–गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजु उर्फ रंजना स्व. बंशीलाल जी मेनारिया (ब्राहम्ण) निवासी– पानेरियों की मादडी, तहसील–गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्टगण

बनाम

1. शांतादेवी मेनारिया पत्नी स्व. बंशीलाल जी मेनारिया (ब्राहम्ण) निवासी– पानेरियों की मादडी, तहसील–गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. रमेश मेनारिया पिता स्व. बंशीलाल जी मेनारिया (ब्राहम्ण) निवासी– पानेरियों की मादडी, तहसील–गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. रविश मेनारिया स्व. बंशीलाल जी मेनारिया (ब्राहम्ण) निवासी– पानेरियों की मादडी, तहसील–गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर(राजस्थान)

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध
नामान्तरकरण संख्या 3400 तहसीलदार गिर्वा, दिनांक 24.07.2013

उपस्थित : श्री रामलाल मेघवाल, अधिवक्ता अपीलान्टगण

निर्णय

दिनांकः–31.08.2021

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार गिर्वा के नामान्तरणकरण संख्या 3400 दिनांक 24.07.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी संख्या 1 के पति एवं अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 के पिता स्व. बंशीलाल जी के नाम ख.नं. 271 रकबा 0.0500

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:56:38 IST
Reason: SelfAttested

है. वाके ग्राम मादडी पानेरियान पटवार हल्का सवीना स्थित है। जिनका देहान्त वर्ष 2010 में हो गया। उनके खाते में दर्ज आराजियात का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 3400 खोला गया परन्तु पटवारी हल्का द्वारा सहवन से रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 के पिता बंशीलाल पिता उंकारलाल के वारिसानों के नाम से अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया, जबकि सही नामान्तरकरण बंशीलाल पिता हरिशंकर के वारिसानों के नाम यानी हम अपीलाण्ट के नाम होना चाहिए था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलीय नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जाकर बंशीलाल पिता उंकारलाल के विधिक वारिसानों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश बक्षाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंटगण बावजूद तामिलन नोटिस अनुपस्थित रहे। तामिलन नोटिस संलग्न पत्रावली है। रेस्पोडेंटगण बावजूद तामील नोटिस के अनुपस्थित रहने से दिनांक 02.08.2021 को इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट सं.1 के पति व अपीलान्ट सं. 2 व 3 के पिता स्वर्गीय बंशीलाल जी का देहान्त सन् 2010 में हो गया है। अपील में प्रस्तुत सजरे के अनुसार बंशीलाल के पिता का नाम हरिशंकर है परन्तु उनके मृत्यु उपरांत नामान्तकरण सं. 3400 दिनांक 27.07.2013 खोला गया। उसमें अपीलान्ट का नाम दर्ज करने के बजाय पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेंट के पिता का नाम भी बंशीलाल जी होने से उक्त आराजीयात में अपीलान्ट की बजाय सहवन से रेस्पोडेंट शांताबाई, रमेश व रविश का नाम इन्द्राज कर दिया गया जो कि इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है। हम अपीलान्ट ने पटवारी हल्का व रेस्पोडेंटगण से सम्पर्क किया तो बताया कि उक्त नाम भूलवश इन्द्राज हो गया है। रेस्पोडेंट का कहना है कि आप अपीलान्ट नामान्तकरण सं. 3400 को निरस्त करा लो तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा नाम गलत इन्द्राज हो जाने से नामान्तकरण संख्या 3400 दिनांक 23.07.2013 निरस्त कराया जाकर 1/36वां हिस्सा अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जावे तो हम रेस्पोडेंटगण को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट के पिता बंशीलाल के पिता का नाम हरिशंकर है। जबकि गलती से बंशीलाल पिता उंकारलाल के वारिसानों के नाम अपीलाधीन नामान्तकरण खुल चुका है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर बंशीलाल पिता हरिशंकर के वैध वारिसानों अपीलान्ट के नाम पुनः दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram
Deora
Date: 2022.01.17 14:56:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता नम्बर 478 में बंशीलाल पिता हरिशंकर के नाम पर सहखातेदारी आराजी नं. 271 रकबा 0.0550है0 ग्राम मादडी पानेरियान दर्ज है जो कि अपीलाण्टगण के पति एवं पिता है। नियमानुसार बंशीलाल पिता हरिशंकर के फौत होने पर नियमानुसार यह आराजीयात जरिये विरासत उसके वारिसान/अपीलाण्टगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। अपीलाधीन नामांतरकरण से यह आराजीयात रेस्पोडेंटगण के नाम सहवन से दर्ज किया जाना अपीलाधीन नामान्तकरण एवं जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज से स्पष्ट है। वस्तुतः अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट एक लगायत तीन के पिता का नाम एक समान बंशीलाल था एवं इन दोनो की मृत्यु होने से इनके विरासत इन्तकाल खुलने थे। अपीलान्ट के पिता/पति का राजस्व रेकार्ड में नाम बंशीलाल पुत्र हरिशंकर ब्राहम्ण दर्ज है एवं रेस्पोडेन्ट एक लगायत तीन के पति/पिता का नाम बंशीलाल पुत्र उंकार ब्राहम्ण अंकित है। सहवन से दोनो मृत बंशीलाल के नाम से दर्ज आराजीयात का एक ही अपीलाधीन नामान्तकरण खोला जाकर बंशीलाल पुत्र उंकार ब्राहम्ण के वारिसान/रेस्पोडेंन्ट एक लगायत तीन के नाम इन्द्राज किये गये। जबकि अपीलान्ट के पिता/पति बंशीलाल पुत्र हरिशंकर ब्राहम्ण के नाम सहखातेदारी में दर्ज आराजीयात खसरा नं. 271 का इन्तकाल उसके वारिसान/अपीलान्ट के नाम दर्ज होना चाहिए था एवं रेस्पोडेन्ट एक लगायत तीन के पति/पिता बंशीलाल पुत्र उंकार ब्राहम्ण के नाम सहखातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 899 का उसकी विरासत के आधार पर इन्तकाल उसके वारिसान/रेस्पोडेन्ट एक लगायत तीन के नाम खुलना चाहिए था, परन्तु मृत दोनो व्यक्तियों का नाम एक समान बंशीलाल होने से दोनो व्यक्तियों के नाम दर्ज आराजियात का नामान्तकरण बंशीलाल पुत्र उंकार ब्राहम्ण के वारिसान रेस्पोडेन्ट एक लगायत तीन के नाम दर्ज होकर स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया है। बंशीलाल पुत्र उंकार ब्राहम्ण की आराजीयात उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट एक लगायात तीन एवं बंशीलाल पुत्र हरिशंकर ब्राहम्ण की आराजीयात उसके वारिसान अपीलान्टगण के नाम दर्ज होनी चाहिए।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 3400 वाके ग्राम पानेरियो की मादडी को उसमें दर्ज आराजी खसरा नम्बर 271 की हद तक खारीज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 3400 वाके ग्राम पानेरियो की मादडी में दर्ज आराजी संख्या 271 को अपीलाधीन नामान्तकरण से हटाकर इसके मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:56:38 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार बंशीलाल पिता हरिशंकर ब्राहम्ण के विधिक वारिसानों की जांच की जाकर आराजी संख्या 271 का विरासत का नये सिरे से सही वारिसानों के नाम नामांतकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावे एवं तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किए जावे। शेष आराजी संख्या 899 को नामांतरकरण संख्या 3400 में यथावत रखा जाकर राजस्व अभिलेख में इस आराजीयात की प्रविष्टियों को पूर्ववत रखा जावे।

निर्णय दिनांक 31.08.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(चेतन देवडा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:56:38 IST
Reason: SelfAttested